भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1822
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: गुड़ उत्पादन
1822. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डीः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार गुड़ के पारंपरिक, पोषण संबंधी और आजीविका संबंधी महत्व को मान्यता देती है, जो विशेष रूप से गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में छोटे किसानों, एमएसएमई और ग्रामीण रोजगार को सहायता प्रदान करता है;
(ख) क्या सरकार न्यूनतम प्रसंस्करण के बावजूद, गुड़ का उत्पादन काफी हद तक असंगठित है और संगठित चीनी क्षेत्र के उलट, गुणवत्ता मानकीकरण, ब्रांडिंग, बाजार पहुंच और मूल्यवर्धन से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा है;
(ग) क्या चीनी उद्योग की तुलना में पारंपरिक गुड़ उत्पादकों को उपलब्ध नीतिगत सहायता, संस्थागत तंत्र और बाजार सुविधा का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया गया है;
(घ) क्या सरकार का खाद्य सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना एमएसएमई, कृषि, पोषण, आयुष या निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों के तहत उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से गुड़ और मूल्य वर्धित गुड़ उत्पादों को बढ़ावा देने का विचार है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के अंतर्गत गन्ने से गुड़, खांडसारी और गुड़ का उत्पादन एक मान्यता प्राप्त ग्राम उद्योग है और यह खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र विशेष रूप से गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में अपने पारंपरिक महत्व, पोषण मूल्य और ग्रामीण आजीविका में योगदान के लिए जाना जाता है।

इसके अतिरिक्त, देश भर में गुड़ प्रसंस्करण उद्योगों सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिककरण (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। इन परियोजनाओं को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है और निर्यात सहित बेहतर बाजार पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य एडिटिव्स) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.8.4 के अंतर्गत गुड़ के मानकों को अधिसूचित किया है।

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आईएसआरआई), लखनऊ में पोस्ट-हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) का एक केंद्र गुड़ के प्रबंधन, प्रसंस्करण और भंडारण पर काम कर रहा है और एफएसएसएआई मानदंडों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण गुड़ निर्माण के लिए प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है।

****